दहेज प्रताड़ना मामलों में गिरफ्तारी नहीं!

- सात वर्ष तक सजा के मामलों में नहीं होगी गिरफ्तारी
- विधि आयोग ने गृहमंत्री को रिपोर्ट दी
- स्थगन न देने के प्रावधान पर विचार की आवश्यकता नहीं

श्याम सुमन नई दिल्ली

सात साल तक की सजा वाले केसों में अभियुक्त को गिरफ्तार न करने के सीआरपीसी संशोधन के लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। विधि आयोग ने गृहमंत्री पी चिदंबरम को दी रिपोर्ट में पुलिस पर थोड़ी बंदिशें लगाते हुए इस प्रावधान को बनाए रखने की सिफारिश की है। अदालतों में स्थगन न देने के दूसरे नए प्रावधान -309 पर आयोग ने कहा कि इस पर ज्यादा विचार की जरूरत नहीं है क्योंकि केस में स्थगन देना या न देना अदालतों के विवेकाधीन पर निर्भर है।

नए प्रावधान -41 ए के तहत पुलिस सात वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में अभियुक्तों के गिरफ्तार नहीं करेगी बल्कि उन्हें नोटिस भेज कर सूचित कर 'सकती' है कि वे जांच के लिए थाने में हाजिर हों। विधि आयोग ने कहा कि प्रावधान में 'सकती' शब्द को 'करेगी' शब्द से बदल दिया जाए। यानी अभियुक्त को नोटिस भेजना अनिवार्य कर दिया जाए। आयोग ने कहा कि यह इसलिए है ताकि पुलिस अधिकारी किसी अपराधी को किसी प्रकार दबाव (राजनैतिक आदि) में या ले देकर अभियुक्त को नोटिस न भेजकर फायदा न पहुंचाए। आयोग ने यह भी कहा कि कोई व्यक्ति जिसे गिरफ्तार न कर नोटिस जारी किया गया है यदि वह स्वयं की पहचान को छिपाता है तो यह उसकी गिरफ्तारी का एक आधार होगा।

रिपोर्ट में आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एआर लक्ष्मणन ने कहा कि अभियुक्त को गिरफ्तार न करने का फैसला न्यायिक समीक्षा के योग्य होगा। शक्ति का दुरुपयोग करने पर पुलिस अधिकारी पर न केवल पुलिस कंपलेंट अथोरिटी का डंडा होगा, बल्कि उसे कोर्ट की अवमानना का सामना भी करना पड़ेगा।

संशोधित धारा 41 ए : पुलिस सात वर्ष की तक सजा वाले केसों में अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करेगी सिर्फ उसे नोटिस भेजेगी। नोटिस का पालन न करने पर ही मजिस्ट्रेट की अनुमति से गिरफ्तारी होगी। छेड़छाड़, लूट का प्रयास, दहेज प्रताड़ना आदि जैसे अपराध गिरफ्तारी से बाहर हो जाएंगे। अभी तक इन केसों में एफआईआर दर्ज होते ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्योंकि तीन वर्ष से अधिक की सजा वाले केस संज्ञेय अपराध होते हैं।

उद्देश्य : अनावश्क तथा झूठे केसों में गिरफ्तारी रोकने और जेलों में भीड़ कम करना।

विरोध : अपराधियों में कानून का भय नहीं रहेगा।

संशोधित धारा 309 : वकील की गैरहाजिरी में मुकदमों को स्थगित न करना।

उद्देश्य : केसों को बोझ कम करना और मुकदमे को लंबा लटकाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना।

विरोध : वकीलों के कहा, यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ। अभियुक्तों को इससे नुकसान होगा।

TOP

PRESSMART